न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, जनपद श्रावस्ती।

Criminal Misc. Cases 101/2026

गीता देवी ———बनाम—— रियाज आदि

दिनांक 10—07—2026

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक लंच बाद पेश हो।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 10—07—2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है।

आवेदिका श्यामा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र विरूद्ध विपक्षीगण रियाज, ताहिर खां, बदरूस सलाम, बराती, भुजउ व निसार इन कथनों का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के गांव के विपक्षीगण उपरोक्त लोगो से एक माह पूर्व विवाद हो गया था उसी विवाद को लेकर उपरोक्त सभी विपक्षीगण दिनांक 21—06—2026 को रात्रि करीब 8 बजे एकराय होकर आये और प्रार्थिनी को जातिसूचक पासिन साली मादरचोद देते हुए प्रार्थिनी के घर मे घ ुस आये तथा लात मुक्का थप्पड़ से मारा और घर का घरेलू सामान तोड़ दिया तथा 1280 रूपये भी छीन लिया। विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थिनी की कनपटी पर कटटा लगा दिया और कहा कि आवाज करोगे तो जान से मार देंगे। घटना के समय लोग इकटठा हो गये घटना देखी और प्रार्थी की जान बचाई। घटना की सूचना थाने पर दिया कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा कोई कार्यवाही नहीं है। तदनुसार प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु याचना की है।

आवेदक द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची के माध्यम से आधार कार्ड, रजिस्टी रसीद, पुलिस अधीक्षक को भेजे गये पत्र की छायाप्रति, थाना मल्हीपुर पर दिये गये प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी जातिप्रमाण पत्र जिसमे आवेदिका गीता देवी को अनुसूचित जाति में रखते हुए उसे पासी जाति का

बताया गया है, प्रस्तुत किया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

थाने से इन कथनों की आख्या प्रस्तुत की गयी कि आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदिका, जो अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखती है, के कथानानुसार विपक्षीगण द्वारा उसे विपक्षीगण द्वारा जातिसूचक गालियां देते हुए उसे उसके घर में घ ुसकर मारा पीटा गया, घरेलू सामान की तोड़ फोड की गयी तथा नकदी भी छीन लिये गये। थाना आख्या के अनुसार भी दिनांक 10–05–2026 को शाम 5 बजे टटिया लगाने के विवाद को लेकर दोनो पक्षों मे कहासुनी हुई थी। इस प्रकार, आवेदिका द्वारा किये गये कथनों तथा उसके द्वारा दाखिल अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से इस संज्ञेय अपराध सम्बन्धी मामले की विवेचना पुलिस के माध्यम से कराया जाना विधि सम्मत है क्योंकि, इस प्रकरण में विवेचना के दौरान नये तथ्यों के प्रकाश में आने की भी सम्भावना है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। थाना मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रकाश में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

यदि घटना असत्य पाई जाती है तो विवेचक वादिनी मुकदमा के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
जनपद श्रावस्ती।